

प्रेषक,

डा० एम.सी. जोशी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा परीक्षा,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ,

देहरादून: दिनांक: ०८ अप्रैल, 2016

विषय: निदेशालय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लेखा परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं का वर्गीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या- 495 xxvii(11)/2012 दिनांक 28 नवम्बर 2012 के द्वारा लेखा परीक्षा कराये जाने हेतु आडिटी विनिर्दिष्ट किये जाने के क्रम में विभिन्न सरकारी विभागों, विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों, निगमों, विश्वविद्यालयों, सरकार द्वारा अनुदागित एवं वित्त पोषित संस्थानों को लेखा परीक्षा कार्य हेतु श्रेणी 'ए' 'बी' 'सी' के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जिसका विवरण संलग्नक- 01 पर है।

1. उक्तानुसार वर्गीकृत विभिन्न विभागों/निकायों/संस्थाओं की लेखा परीक्षा सामान्यतः निम्नानुसार की जायेगी:-
 - i. श्रेणी 'ए' के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष तथा उनके आहरण एवं वितरण अधिकारी/अधिष्ठान का आडिट प्रतिवर्ष सम्पादित किया जायेगा।
 - ii. श्रेणी 'बी' के विभागाध्यक्ष तथा उसके डी०डी०ओ० का आडिट दो वर्ष में एक बार सम्पादित किया जायेगा।
 - iii. श्रेणी 'सी' के विभागाध्यक्ष तथा उनके डी०डी०ओ० का आडिट तीन वर्ष में एक बार सम्पादित किया जायेगा।
2. श्रेणी 'ए' 'बी' 'सी' के आडिट कार्य की आवश्यकतानुसार निम्न प्रकार से आडिट दल गठित किये जाते हैं।

क्र०स०	श्रेणी	आडिट दल(संख्या)
1	श्रेणी 'ए'	30
2	श्रेणी 'बी'	15
3	श्रेणी 'सी'	40
	योग	85

3. 60 प्रतिशत लेखा परीक्षा का कार्य उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियमित आडिट कार्मिकों के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। जिस हेतु 50 लेखा परीक्षा दल की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त 40 प्रतिशत कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से सी०ए० फर्मों से कराया जायेगा।

4. आउटसोर्सिंग के माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष सी०ए०फर्म को जिनको उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत चयन उपरान्त सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्ध फर्मों के द्वारा उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा नियम संग्रह में उल्लिखित नियमों का अनुपालन करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत लेखा परीक्षा सम्पादित की जायेगी।

भवदीय,

(डा० एम.सी. जोशी)
सचिव, वित्त।

संख्या: 05 /xxvii(6)/2016/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
7. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी) देहरादून/
भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(डा० एम.सी. जोशी)
सचिव, वित्त।

संलग्नक-1

श्रेणी 'ए' विभाग

क्र० सं०	विभाग का नाम
1	लोक निर्माण विभाग
2	सिंचाई
3	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
4	ग्राम्य विकास
5	वन
6	आयुक्त खाद्य
7	निदेशक, पशुपालन
8	समाज कल्याण
9	वाणिज्य कर
10	आयुक्त स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन
11	लघु सिंचाई
12	नगर निगम
13	नगर पालिका(नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, मसूरी, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार)
14	विकास प्राधिकरण
15	विश्वविद्यालय
16	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय
17	मंडी परिषद् एवं 20 मंडी समितियां जिसमें एक 1/3 मंडी समितियां का वार्षिक लेखा परीक्षा

श्रेणी 'बी' विभाग

क्र० सं०	विभाग का नाम
1	कृषि
2	आयुक्त परिवहन
3	पंचायतीराज
4	तैकनीकी शिक्षा
5	निदेशक पर्यटन
6	निदेशक रेशम उत्पादन
7	आई०सी०डी०एस०
8	निदेशक, युवा कल्याण एवं पी०आर०डी०
9	जलागम
10	निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
11	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
12	निदेशक डेरी विकास
13	निदेशक उद्योग
14	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
15	निदेशक खेल

16	चिकित्सा शिक्षा
17	आबकारी
18	पुलिस
19	जिला पंचायत
20	वैयक्तिक लेखा
21	नगर पालिका(अन्य नगर पालिका)
22	नगर पंचायत
23	इंजीनियरिंग कॉलेज
24	मंदिर समिति
25	विभिन्न निगम (15)

श्रेणी 'सी' विभाग

क्र० सं०	विभाग का नाम
1	निबन्धक, सहकारी समितियां
2	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
3	निदेशक कला एवं संस्कृति
4	निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवार्ये
5	निदेशक एन०सी०सी०
6	निदेशक, सतर्कता
7	निदेशक मत्स्य पालन
8	निदेशक प्रशासनिक अकादमी नैनीताल
9	आयुक्त आपदा प्रबन्धन
10	निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवार्ये
11	निदेशक राजकीय मुद्रणालय
12	निदेशक सैनिक कल्याण
13	निबन्धक विट फण्ड एवं सोसाईटी
14	निदेशक होम्योपैथिक
15	निदेशक नागरिक उड्डयन
16	कारागार
17	नियोजन
18	राज्य निर्वाचन आयोग
19	निदेशक राष्ट्रीय लघु बचत
20	आयुक्त श्रम
21	आयुक्त गन्ना
22	होमगार्ड
23	ब्लॉक पंचायतें
24	ग्राम्य पंचायत
25	डिग्री कॉलेज
26	इंटर कॉलेज
27	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

28	जूनियर हाई स्कूल
29	संस्कृत पाठशाला
30	ट्रस्ट
31	अन्य लेखें
32	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
33	जिला शिक्षा अधिकारी
34	सचिव माध्यमिक शिक्षा
35	विद्यालय
36	उच्च शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय